कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 508 /12-1 दिनांक, अल्मोड़ा, 11/08/ 2015

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खंड लो0नि0वि0
अल्मोड़ा।

विषय :– **आन लाईन प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आपके खण्ड के निम्न प्रस्ताव आन लाईन प्राप्त हुये हैं। जिसमें प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरेखण संख्या 2 में प्रभावित होने वाले वृक्षों की व्यासवार (Girth Class Wise) सूची प्रस्ताव में संलग्न नहीं हैं। वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा की पत्र संख्या क–57/12–1–2 दिनांक 06.07.2015 से निर्देश भी प्राप्त हैं। जिसकी प्रति इस कार्यालय की पत्र संख्या मैमो 12–1 दिनांक 15.07.2015 से आपको प्रेषित किया गया हैं। (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्न मोटर मार्गो के संरेखण संख्या 2 में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची व्यासवार (Girth Class Wise) इस कार्यालय को आनलाईन/ हार्ड कापी सहित उपलब्ध करने का कष्ट करें।

1– सोनासिंलिग–कमुवाकौला मो0मा0 लं0 4.00 किमी0 रोड संख्या–10102/2015

2– बसौलीखान–बिरकौला–सल्पर से सेराघाट मो0मा0 लं0 25.00 किमी0 रोड संख्या–12269/2015

3– दन्या–आरासलपड़ मो0मा0 चिमखोला तक लं0 6.00 किमी0 रोड संख्या–11223/2015

4– कुरी–बयाली–स्वाड़ी–पाली मो0मा0 लं0 10.00 किमी0 रोड संख्या–11224/2015

अतः सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा 263601

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

6-1

आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

E-Mail : cfkumaon_north@rediffmail.com ☎ (05962) 231099 & Fax (05962) 230397

पत्रांक 57 / 12-2 दिनांक, अल्मोड़ा, 6/7 2015.

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

विषय :– वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित प्रस्तावों का ऑन–लाइन प्रेषण।

महोदय,

वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित ऑन–लाइन प्रेषित प्रस्तावों के हॉड–कापी का अवलोकन करने से संज्ञान में आया कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रत्येक मोटर मार्ग के निर्माण में 2 संरेखणों का चयन किया जाता है। जिसमें चयनित किये गये संरेखण से सम्बन्धित बाधित वृक्षों की सूची प्रस्ताव में सूचित की जाती है। तथा वैकल्पिक संरेखण से सम्बन्धित वृक्षों की व्यासवार (Girth Class Wise) प्रस्ताव में सूचित नही की जा रही है। इस सम्बन्ध में V.C में भी चर्चा के दौरान यह प्रकरण आया कि मोटर मार्ग के वैकल्पिक संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची प्रस्ताव में अंकित की जाय।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में ऑन–लाइन किये जाने वाले वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित सभी प्रस्तावों में वैकल्पिक संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची भी (Girth Class Wise) प्रस्ताव में सूचित करे। इस हेतु अपने स्तर से सभी प्रस्तावक विभाग को निर्देशित करे कि वे संयुक्त निरीक्षण के दौरान वैकल्पिक संरेखण को सम्बन्धित सहायकों के संज्ञान में लाये ताकि वैकल्पिक संरेखण में प्रभावित होने वाली वृक्षों की सूची तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न की जा सके। कृपया इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

भवदीय,

4/7

(प्रेम कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

157
12-1
06/07/2015

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

पत्रांक /12-1 दि० 7/15

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अल्मोड़ा
2) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० अल्मोड़ा
3) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड PMGSY अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाव,